कारण बताओ नोटिस

दल संख्या–167024559 कॉस्टेबल (चालक) शीशपाल पुत्र स्वर्गीय श्री ज्योति सिंह, ग्राम व पोस्ट–दूधली, पुलिस स्टेशन–चरकावल, तहसील/जिला–मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) पिन न0–247772 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एम.डी.एस. अल्मोड़ा, भा.ति.सी.पु. बल में एम.टी.डी.–तृतीय स्तर कोर्स के दौरान आपने दिनांक 08.12.23 को अपनी माताजी के देहांत होने के कारण स्वेच्छा से कोर्स न करने तथा 5वी वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल वापिस जाने हेतु प्रार्थना पत्र व अण्डरटेकिंग फार्म प्रस्तुत किया गया। एम.डी.एस. अल्मोड़ा के ई–मेल संदेश संख्या 8936 दिनांक 08.12.2023 के तहत आपको दिनांक 08.12.2023 (अप्रा0) को 5वी वहिनी भा.ति.सी.पुलिस बल के लिए (RTU) प्रस्थान दिया गया परन्तु आपने न ही अपनी आमद 5वी वाहिनी मुख्यालय, लेह में दी और न ही आवगमन शिविर, छावला, नई दिल्ली में दी गई। तत्पश्चात आपको 5वी वाहिनी के ज्ञापन संख्या– 13126 दिनांक–20.12.2023, ज्ञापन संख्या–09 दिनांक–01.01.2024 एवं ज्ञापन संख्या–223 दिनांक–11.01.2024 के माध्यम से शीघ्र वाहिनी मुख्यालय में आमद देने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु आपने इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये पत्रों का कोई भी प्रतिउत्तर नहीं दिया।

2. आपके ड्यूटी पर आमद न होने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 71–73 दिनांक–01.02.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला मुज्जफरनगर (उ0प्र0) व एस0एच0ओ0, पुलिस स्टेशन–चरथावल (उ0प्र0) से आपको पकड़ कर 5वी वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस बल को सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु संबंधित पुलिस विभाग द्वारा आपको पकड़ कर सुपुर्द नहीं किया गया और न ही कोई सूचना इस कार्यालय को दी गई।

3. आपके 30 दिन से अधिक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित होने के कारणों का पता लगाने हेतु 5वीं वाहिनी के आदेश संख्या–325 दिनांक–10.02.2024 के अनुसार न्यायिक जॉच समिति का गठन किया गया। जांच समिति के निष्कर्ष, राय व तथ्यों के आधार पर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम 1992 की धारा 74 (2) में निहित प्रावधानों के तहत 5वीं वाहिनी के आदेश संख्या 1162–70 दिनांक 11.03.2024 के अनुसार आपको **दिनांक 09.12.2023 (पूर्वा0)** से **"भगौड़ा"** घोषित किया गया है तथा भगौड़ा आदेश की एक प्रति आपको आपके घर के पते पर भी पंजीकृत डाक से भेजी गई है।

4. पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आपने अभी तक अपनी आमद 5वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, लेह (यू0टी0) में नहीं दी है। अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको यह अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि आप **इस कारण बताओ नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों के अंदर अपनी आमद 5वीं वाहिनी** भा.ति.सी.पुलिस बल, लेह में दें अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप इस बल में आगे सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं तथा भा.ति.सी.पु.बल अधिनियम, 1992 एवं नियमावली, 1994 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत भा.ति.सी.पु.बल से आपकी सेवाऐं समाप्त कर दी जाएगी।

सेनानी
5वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल

CBC 19112/11/0040/2425